

# मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल

आदेश

क्रमांक 01-13/3801/25

जबलपुर, दिनांक 10-12-09

आदेश क्रमांक 01-13/3251/09 दिनांक 13-08-2009 की कंडिका 8 एवं 01-13/3251/11 दिनांक 13-08-2009 की कंडिका 8 के तारतम्य में मण्डल ने निर्णय लिया है कि सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी. वृद्ध पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत निम्नानुसार देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-11-2009 (माह नवम्बर 2009 को पेंशन/परिवार पेंशन जो दिसम्बर 2009 में देय होगी )	पेंशन / परिवार पेंशन का 19 % (तन्नीस प्रतिशत)
दिनांक 1-01-2010 (माह जनवरी 2010 को पेंशन/परिवार पेंशन जो फरवरी 2010 में देय होगी )	पेंशन / परिवार पेंशन का 22 % (बाईस प्रतिशत)

2. राहत के भुगतान पर होने वाले रुपये के अपूर्ण भाग को अगले रुपये में पूर्णकृत किया जावेगा.

3. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सांशिकरण के पूर्व (Before Commutation) की पेंशन पर होगी.

4. इस आदेश के अंतर्गत दिनांक 01-11-2009 से देय 19 प्रतिशत मंहगाई राहत का नगद भुगतान माह दिसम्बर 2009 से एवं 01-01-2010 से देय 22 प्रतिशत मंहगाई राहत का नगद भुगतान माह फरवरी 2010 से नियमित किया जावेगा.

आदेशानुसार

(सन्तोष तिनारी)

विशेष कर्तव्यस्था अधिकारी (कार्मिक)

मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

जबलपुर, दिनांक 10-12-09

क्रमांक 01-13/3801/26  
प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा. ट्रास. कंपनी लिमि./म. प्र. पा. जनरेटिंग कंपनी लिमि./म. प्र. पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित्त क लि. जबलपुर/ भोपाल/इन्दौर.
2. वित्तीय सलाहकार, म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
3. प्रबंध निदेशक, म. प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमि. जबलपुर./शहपुरा टीपीपी, जबलपुर ।
4. निदेशक (सतर्कता एवं सुरक्षा), म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
5. समस्त कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियन्ता, म.प्र.रा.वि.म./म.प्र.पा.ट्रा./म.प्र.पा.जन./म.प्र. पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वित्त. कं. लिमिटेड, जबलपुर/ भोपाल/इन्दौर ।
6. विशेष कर्तव्यस्था अधिकारी (कार्मिक) सचिवालय, म.प्र.रा.वि.म., जबलपुर ।
7. कार्यपालक निदेशक (संपर्क), म.प्र.रा.वि.म.ई-4, अरेरा कालोनी, भोजपुर क्लब के सामने, भोपाल ।
8. प्रबंध निदेशक (ग्रोव्स बाडी), शक्ति भवन, म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर ।
9. कार्यपालक निदेशक (वित्त)/निदेशक (वित्त)/(वित्त एवं लेखा), म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल / म.प्र.पा. जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/ म.प्र.पा. ट्रासमिशन कंपनी लिमि. जबलपुर